



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2010/चैत्र 26, 1932

No. 100]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2010/CHAITRA 26, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2010

सं. भा.आ.प.-18(1)/2010-मेडि./3493.—भारतीय

आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2010" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. खण्ड 9 (1) (ख) में "दूर-दराज के और/या कठिन क्षेत्रों" शब्दों के पश्चात् और खण्ड 9(2)(ध)के परंतुक में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"समय-समय पर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार।"

ले. कर्नल (से. नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव
[विज्ञापन III/4/100/10/असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 17-11-2009 और 09-12-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2010

No. MCI-18(1)/2010-Med./3493.—In exercise of the

powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2010".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Clause 9(1)(b) after the words "remote and/or difficult areas" and in the proviso to the clause 9(2)(d), the following shall be inserted :—

"As decided by the Competent State Authorities from time to time."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.
[Advt. III/4/100/10/Exty.]

Foot Note :—The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended *vide* MCI notification dated 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-03-2006, 20-10-2008, 25-3-2009, 21-7-2009, 17-11-2009 and 9-12-2009.